बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2,पटना 800001

पत्रांक– 2263 दिनांक– 22/2/19

संविदा पर सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की आवश्यकता

बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य सरकार/केन्द्र सरकार,राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम/बोर्डो/ निकायों के सहायक अभियता/कनीय अभियंता के पद से सेवा निवृत पदाधिकारियों का संविदा पर नियोजन हेतु योग्य,स्वच्छ छवि वाले एवं शारीरिक रूप से कर्तव्यों में सक्षम, अनुभवी पदाधिकारी आवेदन पत्र निर्धारित अर्हता/शर्ते(जो निगम बेवसाईट पर उपलब्ध है)पर दिनांक 15.03.19 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उक्त नियोजन के लिए आदर्श रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों पर 11(ग्यारह) माह के लिए संविदा पर नियुक्ति की जायेगी तथा उनका कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

सहायक अभियंता(संविदा)–2/कनीय अभियंता(संविदा)–8 पद

1. आवेदक अपना आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.19 तक** निश्चित रूप से **प्रबंध निदेशक,बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, 'खाद्य भवन'दारोगा राय पथ,आर ब्लॉक,रोड नं.2,पटना 800001** के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अर्हता पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन **स्थापना समिति के अनुशंसा पर** किया जायेगा।
2. संविदा पर नियोजन की शर्ते,आवेदन प्रपत्र,अभ्यर्थियों द्वारा **Website-sfc.bihar.gov.in** तथा किसी भी कार्य दिवस को निगम मुख्यालय(खाद्य भवन)आर0ब्लॉक,रोड नं02,पटना के प्रशासन शाखा में देखा जा सकता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

22.2.19

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

संविदा पर नियोजन की अर्हता एवं शर्ते निम्नवत होगी–

1. संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरूद्ध नियमित कर्मी होंगे, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65वर्ष की होगी। चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. चयन समिति आवश्यकतानुसार कांउसिलिंग/साक्षात्कार के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी।
5. उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश राज्य खाद्य निगम के द्वारा निर्गत किया जायेगा।
7. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
8. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।
9. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप यथा संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवा निवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि मे से पेंशन की राशि+सेवा निवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा,परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवा निवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
11. उल्लिखित पदों के लिए सेवा निवृत इच्छुक व्यक्ति संलग्न विहित प्रपत्र में अपनी योग्यता,पूर्व धारित पदों का विवरण सहित स्वयं अथवा निबंधित डाक से अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक **प्रबंध निदेशक,बिहार स्टेट फुड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,'खाद्य भवन' दारोगा राय पथ,आर0ब्लॉक रोड नं02, पटना–800001** के पते पर भेजें।
12. आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो।
13. आवेदक शरीरिक रूप से स्वस्थ्य हो।
14. सेवा निवृत इच्छुक कार्मिक अपने आवेदन पत्र के साथ आयु,शैक्षणिक योग्यता,सेवा निवृति से संबंधित कागजातों,पूर्व नियोजक से स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अपराधिक मामला,गबन अनाचार–कदाचार के संबंध में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रतिवेदन देगें।
15. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल–अचल संपति से की जायेगी।

क्र0	पद	स्वीकृत पद	वेतनमान	पदवार वांछित योग्यता	रिक्ति पद
1	सहायक अभियंता	04	**PB-2+5400** (अपुनरीक्षित)	केन्द्र सरकार/राज्य एवं केन्द्र के विभिन्न निगम बोर्ड आदि से सहायक अभियंता के पद से सेवा निवृत।	02
2	कनीय अभियंता	08	**PB-2+4200** (अपुनरीक्षित)	केन्द्र सरकार/राज्य एवं केन्द्र के विभिन्न निगम बोर्ड आदि से कनीय अभियंता के पद से सेवा निवृत।	08

21.02.19

आवेदन प्रपत्र

Paste in Photograph

1. आवेदित पद का नाम–
2. आवेदक का नाम
3. पिता का नाम–
4. अंतिम धारित पद–
5. प्रथम नियुक्ति की तिथि–
6. स्थायी पता–

7. वर्तमान पता–

8. सेवा निवृति की तिथि–
9. सेवा निवृति का पद एवं विभाग का नाम एवं पता जहाॅ से सेवा निवृत हुए है–(सेवा निवृति संबंधित/अभिप्रमाणित साक्ष्य संलग्न करें)

10. जन्मतिथि(प्रमाण पत्र के साथ)–

11. शैक्षणिक योग्यता–
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

12. आवेदित पद के अनुरुप योग्यता–
13. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानीवाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है अथवा नहीं।
14. आरक्षण कोटि–
(सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्रमाण पत्र संलग्न)
15. सेवा निवृति के अंतिम माह में प्राप्त परिलब्धियाँ–
(LPC /PPO की छाया प्रति संलग्न करें)–
16. दूरभाष/मोबाईल नं0

तिथि–

स्थान–

हस्ताक्षर